## हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-2/2016

Dated 3e- Shimla-171002,

Order

304-2016

Sub: - Diversion of 1.8627 ha of forest land in favour of I & PH Department for the augmentation and remodeling of GWSS, Basantpur, Kalvi, Nandukhar Gharatnala etc., within the jurisdiction of Shimla Forest Division, District Shimla, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा—2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HPB 09/46/2015/14 दिनांक 05-04-2016 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 1.8627 हैक्टेयर वन भूमि को I & PH Department को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करते हैं।

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार U-594 Kotala में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 2 4.00 है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिःपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- एन.पी.वी. की दरों में अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. 3
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा। 5
- प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगााकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- परियोजना निर्माण मे उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा 7 निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय अधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया 10
- प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर आवश्यक मृदा संरक्षण कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेगा। 11
- प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान /पातन नहीं किया किया जाएगा। 12
- यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरुरी अनुमित लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी

Contd./2

CCF(FCA) &

ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 13 14

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

> आदेश अनुसार प्रधान सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2016 (FCA)

Copy is forwarded to :-

Dated, Shimla-171001 the, ... 80-4-2016 Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh

Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, Pearson 3

The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in

The Addl. PCCF(FCA)-cum-Nodal Officer O/o HPFHQ Shimla for information. 5

The Deputy Commissioner, Shimla, Distt., Shimla, Himachal Pradesh. 6

The Chief Conservator of Forests Shimla, Distt. Shimla, HP. DFO Shimla Forest Division, Distt., Shimla, H.P.

Executive Engineer/Asstt. Engineer, I & PH Department U.S.Club Shimla, Distt. Shimla 8 9 Guard File.

Addl. Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh.

- 7 MAY 2016

Endst. No. Ft. 48-2845/2014(FCA) Dated Shimla-1, the Copy is forwarded to CCF (IT) for information and necessary action. He is requested to upload the formal order as issued by the Pr. Secretary (Forest) to GoHP on the Web Site of Forest Department at the earliest please.

O/o Pr. Coff. H.P. Shimla-1